प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 16.09.2025

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी।

थाना भीरा पुलिस द्वारा, गुमशुदा किशोर सौरभ की हत्या में संलिप्त वांछित अभियुक्त जिशान को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार; अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निकट पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना भीरा के नेतृत्व में दिनांक 07.09.25 को पंजीकृत मु0अ0सं0 337/2025 धारा 140(1)/103(1)/238(a) बीएनएस से संबंधित गुमशुदा किशोर सौरभ की हत्या की घटना में संलिप्त/वांछित अभियुक्त जिशान पुत्र अली शेर निवासी ग्राम सलामतनगर भट्टा कस्बा व थाना भीरा जनपद खीरी को आज दिनांक-16.09.2025 को थाना भीरा पुलिस द्वारा,भीरा धर्मापुर रोड ग्राम मेड़ईपुरवा के पहले वहद ग्राम मेड़ईपुरवा से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 346/25 धारा 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/25/28 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.09.2025 को अभियुक्त जिशान उपरोक्त द्वारा अपने साथियो 1.शादाब पुत्र इकरार निवासी ग्राम सलामतनगर भट्टा थाना भीरा जनपद खीरी 2.रियासत खान पुत्र बाबू खान निवासी ग्राम सलामतनगर भट्टा थाना भीरा जनपद खीरी 3. इरशाद पुत्र वहीद खान नि0 इन्द्रानगर वार्ड नं0 01 कस्बा व थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत हालपता सलामत नगर भट्टा कस्बा व थाना भीरा जनपद खीरी के साथ मिलकर शाम करीब 07.30 बजे सौरभ उम्र करीब 15 वर्ष पुत्र विजय कुमार लोधी निवासी ग्राम लालजीपुरवा थाना भीरा जनपद खीरी को पूर्व की मित्रता के कारण बहलाकर कर अपने निमार्णाधीन मकान पर बुलाकर घर वालो से पैसे लेने के मंशा से बंधक बनाने का प्रयास किया गया। सौरभ के विरोध करने पर अभियुक्त उक्त अपने साथियो के साथ मिलकर शौरभ का गला घोटकर हत्या कर दी गयी तथा शव को दो मोटर साइकिलो से ले जाकर करीब 04 किमी दूर गन्ने के खेत में छिपा दिया गया सौरभ के घर न पहुचंने पर पिता विजय कुमार द्वारा दिनांक 07.09.2025 को थाना भीरा पर तहरीर देकर मु0अ0सं0 337/2025 धारा-137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। जिशान के साथी शादाब व रियासत को हिरासत में लेकर की गई गहन पूछताछ में उनके द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए स्वंय चलकर सौरभ का शव तथा मोबाइल फोन बरामद कराया गया जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त धारा-137(2) बीएनएस से धारा-140(1)/103(1)/238(a)बीएनएस में तरमीम होकर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जिशान पुत्र अली शेर निवासी ग्राम सलामतनगर भट्टा कस्बा व थाना भीरा जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1.मु0अ0सं0 337/2025 विलोपन धारा-137(2) व बढोत्तरी धारा-140(1)/103(1)/238(a) बीएनएस थाना भीरा जनपद खीरी

2.मु0अ0सं0 346/2025 धारा 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड) व 3/25/28 आर्म्स एक्ट थाना भीरा जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री गोपाल नारायण सिंह थाना भीरा जनपद खीरी
2.व0उ0नि0 श्री अवनीश कुमार थाना भीरा जनपद खीरी
3.हे0का0 देवव्रत सिंह थाना भीरा जनपद खीरी
4.का0 तुषार कुमार थाना भीरा जनपद खीरी
5.का0 जगजीवन थाना भीरा जनपद खीरी
6.का0 मुलायम यादव थाना भीरा जनपद खीरी

थाना निघासन पुलिस द्वारा, दहेज हत्या के अभियोग में 02 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी निघासन के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना निघासन के नेतृत्व में आज दिनांक- 16.09.2025 को थाना निघासन पुलिस द्वारा, थाना निघासन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 102/2025 धारा 80(2)/85/123 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित 02 नफर अभियुक्तों 1.जगदीश पुत्र रमई 2.मुकेश पुत्र जगदीश निवासीगण ग्राम सहतेपुरवा मजरा लुधौरी थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.जगदीश पुत्र रमई निवासी ग्राम सहतेपुरवा मजरा लुधौरी थाना निघासन जनपद खीरी

2.मुकेश पुत्र जगदीश निवासी ग्राम सहतेपुरवा मजरा लुधौरी थाना निघासन जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 आदित्य कुमार यादव थाना निघासन जनपद खीरी
2.का0 राजकुमार थाना निघासन जनपद खीरी
3.का0 प्रशान्त तेवतिया थाना निघासन जनपद खीरी
4.म0का0 अर्चना वर्मा थाना निघासन जनपद खीरी

थाना पढुआ पुलिस द्वारा महिला की हत्या के अभियोग से संबंधित 02 नफर अभियुक्ताओं को गिरफ्तारकल कर घटना में प्रयुक्त आला-कत्ल, एक अदद हंसिया, बरामद किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी निघासन के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पढुआ के नेतृत्व में आज दिनांक- 16.09.2025 को थाना पढुआ पुलिस द्वारा, दिनांक 14.09.2025 को हुई महिला की हत्या की घटना से संबंधित मु0अ0सं0 595/2025 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित 02 नफर अभियुक्ताओं 1.इन्द्रावती पत्नी लाल बहादुर 2.सुनीता पुत्री लाल बहादुर निवासीगण ग्राम प्रेमनगर मझरापूरब थाना पढुआ जनपद खीरी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद हसिया बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्ताओं को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.09.2025 को झुनकी देवी पत्नी श्री रामसुधार राजभर निवासी ग्राम प्रेमनगर मजरा मंझरापूरब थाना पढुआ जिला खीरी की हत्या हुई थी जिसके सम्बन्ध में मृतका के पति रामसुधार राजभर लिखित तहरीर के आधार पर गाँव के ही रहने वाली 1.इन्द्रावती पत्नी लाल बहादुर उम्र 48 वर्ष 2.सुनीता पुत्री लाल बहादुर उम्र 19 वर्ष निवासीगण ग्राम प्रेमनगर मझरा पूरब थाना पढुआ जिला खीरी के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0595/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही से ज्ञात हुआ कि वादी श्री रामसुधार राजभर उपरोक्त की पत्नी झुनकी देवी का अभियुक्ता इन्द्रावती के पति लाल बहादुर से अवैध सम्बन्ध था । जिसके चलते अभियुक्ता इन्द्रावती द्वारा अपने पुत्री सुनीत के सहयोग से हसिया द्वारा झुनकी देवी की हत्या कर दी गयी ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तागण

1.इन्द्रावती पत्नी लाल बहादुर मौर्य निवासी ग्राम प्रेमनगर मजरा मंझरापूरब थाना पढुआ जनपद खीरी

2.सुनीता पुत्री लाल बहादुर मौर्य निवासी ग्राम प्रेमनगर मजरा मझरापूरब थाना पढुआ जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण-

1.घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद हसिया

बरामद/गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1.उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना पढुआ जिला खीरी

2.का0 अक्षय चन्द्रवंशी थाना पढुआ जिला खीरी

3.का0 कृष्ण कुमार थाना पढुआ जिला खीरी

4.म0का0 वन्दना सिंह थाना पढुआ जिला खीरी

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 75 लीटर अवैध शराब बरामद कर 08 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **75 लीटर अवैध कच्ची शराब** बरामद कर **08 नफर** अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **08 अभियोग** पंजीकृत किये गये।